भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3573

10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल बीमा

3573. श्री राजबीर दिलेर :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से ऋण लेने वाले किसानों को फसल बीमा देते समय निजी कंपनियों का हित साधन करने हेतु किसानों की सहमति नहीं ली जाती है;

(ख) क्या सरकार का किसानों को बीमा कंपनियों को चुनने का अधिकार देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को नीतिगत बांड जारी करने और लाभ देयता के संबंध में क्षेत्रीय भाषा में लिखित रूप में जानकारी प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश देने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इस दिशा में कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख) : खरीफ 2016 से नई उपज आधारित स्कीम नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू करने का उद्देश्य फसल बुवाई से लेकर फसलोपरांत कटाई तक किसानों को फसलों के लिए सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखमों पर व्यापक जोखिम कवर को सुनिश्चित करने और किए गए दावों की पर्याप्त दावा राशि एवं दावों के समय पर भुगतान के लिए सरल एवं किफायती फसल बीमा स्कीम प्रदान करना है।

किसानों के लाभ के लिए फसल बीमा एक प्रमुख जोखिम शमन उपकरण है। इसलिए, अधिसूचित क्षेत्रों में उगाने वाली अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्य ऋण/केसीसी ऋण प्राप्त करने वाले ऋणी किसानों के लिए योजना को अनिवार्य बनाया गया है और यह योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। सभी किसानों के लिए इस योजना को

स्वैच्छिक/वैकल्पिक बनाने के लिए किसान संगठनों, राज्यों आदि सहित विभिन्न लोगों (क्वार्टरस) से अनुरोध/अभ्यावेन प्राप्त हुए हैं। फसल बीमा योजनाओं में संशोधन/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न हितधारकों के परामर्श के बाद समय-समय पर सुझावों/अभ्यावेदनों पर निर्णय लिए जाते हैं।

(ग) से (च): फसल बीमा योजनाओं को पहले क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर कार्यान्वित किया गया और इन योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख कवरेज (95% से अधिक) ऋणी किसानों के नामांकन के लिए अनिवार्य था। समेकित घोषणाओं में, फसल का नाम, बीमित किसानों की संख्या और एकत्र किया गया प्रीमियम, व्यक्तिगत किसान के विवरण के बिना, बैंकों के नोडल कार्यालयों द्वारा बीमा कंपनियों को नामांकन के लिए भेजा गया था। ऐसे में, बीमा कंपनियों/बैंकों द्वारा व्यक्तिगत किसानों को रसीद प्रदान नहीं की गई थी।

हालांकि, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, नोडल बैंक प्रणाली को वापस ले लिया गया है और सभी बैंक शाखाएं सीधे खरीफ 2017 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसान-वार डेटा प्रस्तुत करती हैं। इस परिवर्तन के बाद, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी बीमित किसानों को "पावती रसीद" प्रदान करें। अब, सभी ऋणी किसानों को वितरण के लिए एनसीआईपी के माध्यम से फसल, प्रीमियम, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, बीमा कंपनी का विवरण आदि सहित "पावती रसीदें" सभी बैंकों को प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, डाकघर को भी खरीफ 2018 मौसम के बाद से बीमित ऋणी किसानों को योजना की जानकारी के साथ पूर्वोक्त विवरण सहित पावती रसीद वितरित करने के लिए लगाया गया है।

इसके अलावा, खरीफ 2017 से, गैर-ऋणी किसानों को पोर्टल पर या सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से सीधे नामांकन करने और नामांकन पर तत्काल रसीद प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों या उनके बिचौलियों के साथ सीधे नामांकित गैर-ऋणी किसान, उनसे तत्काल "पावती रसीदें" प्राप्त करें।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर इस मामले की समीक्षा की है। इसके अलावा, इस कार्य हेतु, बैंकों से पोर्टल पर उनके डेटा प्राप्त होने पर खरीफ-2017 से बीमित किसानों को एसएमएस भी प्रदान किए गए हैं। एक एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपने आवेदन, दावों और फसल क्षति रिपोर्ट आदि की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

****